न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2021/87

1. लालचन्द उर्फ बाबूलाल पुत्र मदन लाल,
2. रामावतार पुत्र मदन लाल,
3. राजू पुत्र मदन लाल,
4. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर,
5. मीना पत्नी रामकिशोर, समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी फतेहपुरा बास वाटिका, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. छीतरमल उर्फ मोहन लाल पुत्र नाथूलाल,
2. रामचन्द्र उर्फ सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल,
3. बद्रीनारायण पुत्र नाथूलाल,
4. रामजीलाल उर्फ रामलाल पुत्र नाथूलाल, समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी फतेहपुरा बास वाटिका, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री ज्ञानेश्वर बाढदार, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

दिनांकः 05.01.2026

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2021 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1114, 1115, 1116 साबिक खसरा नम्बर 234 से बने है। यह भूमि पूर्व में सम्वत् 1993 से कभी भी ठाकुर जी मुरली मोहर जी की माफी खुदकाश्त की भूमि नही रही है बल्कि अपीलान्ट एवं कल्याण के वारिस रामकरण, गजानन्द व गोपाल के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का कोई सम्बन्ध मृतक कल्याण से नही रहा है, जब कल्याण फौत हुआ तो नामान्तरकरण उनके वारिसान में रामकरण, गजानन्द व गोपाल का ही खुला है क्योंकि रेस्पोडेन्ट के पिता नाथूलाल, कल्याण के जीवनकाल में ही किसी शिवनाम पुत्र गंगाराम निवासी हीरालावा उर्फ बाल्यावाला तहसील बस्सी के यहॉ सन् 1977 में गोद चला गया था जिसको सम्पूर्ण सबूत भूमि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये थे लेकिन तहसीलदार ने सभी दस्तावेजों को नजरअन्दाज कर मात्र विपक्षी द्वारा पंचायत का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर जो निर्णय दिया है। वह सरासर गलत है जबकि पंचायत को ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार भी नही था और न ही तहसीलदार द्वारा कोई प्रमाण पंचायत से मांगा था। सरपंच से मिलीभगत कर विपक्षीगण ने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। वह कोई कानूनी मान्यता नही रखता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस सब कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो सरासर गलत है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम में पुजारी का नाम दर्ज करने बाबत कोई उल्लेख नही है, न ही धारा 135(2)भू राजस्व अधिनियम इस प्रकार की आज्ञा पारित की जा सकती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनन की मनसा के विपरीत अपीलाधीन आज्ञा पारित की है, जो अवैंधानिक होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि कल्याण के जो अन्य वास्तविक वारिस थे उनको भी पक्षकार नही बनाया और जो अपीलान्ट खातेदार दर्ज है और जिनक खाते से 09/07/2003 की माफी ठाकुरजी मुरली मनोहर जी का इन्द्राज हुआ था जिसको चुनौती अपीलान्ट ने दे रखी है उनके अधिकारों के विपरीत जो आज्ञा पारित की व सरासर गलत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किा है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने मंदिर की सेवापूजा करने हेतु के सम्बन्ध में गांव के मौजीज व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये थे तथा राज्य सरकार का परिपत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें मंदिर के पुजारी का विवाद राजस्व न्यायालय को करने का नही माना है। केवल सिविल कोर्ट को ऐसा अधिकार तय करने का अधिकार माना है। उसको भी नजरअन्दाज कर और जब पुजारी का विवाद दो पक्ष करते हो तो भी तहसीलदार को सक्षम न्यायालय में पुजारी अधिकारों को तय करने के लिये भेजना आवश्यक था ओर यही धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम की मनसा है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण को नाजायज लाभ देने की गरज से जो आज्ञा दी है, वह सरासर अवैंधानिक व अधिकार विहिन होने क कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 08.01.2021 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.03.2021 को हुई क्योंकि तहसीलदार के समक्ष अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी का स्थगन प्रस्तुत कर दिया था तथा तहसीलदार का भी स्थानान्तरण के आदेश दिनांक 20.12.2020 को हो चुके थे उनके द्वारा आदेश पारित करने का कोई औचित्य नही था लेकिन तहसीलदार ने विपक्षीगण से सांठ–गांठ कर बिना अपीलान्ट को सूचित किये स्थानान्तरण होने के बाजवूद दिनांक 08.01.2021 को आज्ञाा पारित की उसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्ट को कभी नही हुई और दिनांक 18.03.2021 को जानकारी होते ही व नकल लेते ही कानूनी सलाह लेकर अपीलान्ट की ओर से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण पुजारी के नाम इन्द्राज करने बाबत था और पुजारी की वास्तविक घोषणा करने का अधिकार केवल सिविल न्यायलाय को ही है। नाथू के बडे पुत्र रेस्पोडेन्ट बद्री ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 जयपुर में वाद संख्या 48/2006 बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, तत्पश्चात् संशोधित वाद संख्या 56/2006 दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती इश्तकरारहक सेवा पूजा सेवायत महंत पुजारी घोषण व तकासमा हेतु पेश किया जो दिनांक 08.01.2018 को सबूतों के अभाव व अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका था इसलिये तहसीलदार चाकसू को पुजारी घोषणा का कोई अधिकार नही है और तथा ऐसा कोई रजिस्टर पुजारी दर्ज करने हेतु नही बना है और ना ही ऐसा कोई प्रावधान है जबकि वास्तकिता यह है कि जिलाधीश जयपुर के पास जो आवेदन विपक्षी रेस्पोडेन्ट छीतर मल व अन्य ने प्रस्तुत किया था वह केवल मात्र प्रशासनिक पत्र था। कोई न्यायिक आज्ञा पारित करने हेतु नही था केवल जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई थी लेकिन तहसीलदार चाकसू ने भू राजस्व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिनियम की धारा 135(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जो आदेश दिया है, वह सरासर अवैधानिक है एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तथा माननीय न्यायालय अपर जिला सैशन कोर्ट के आदेशों के विरूद्ध जाकर दिया गया निर्णय है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2021 को खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओरसे कोई भी उपस्थित नही।

हमने अधिवक्ता अपवीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 1094, 1114, 1115 एवं खसरा नम्बर 116 कुल किता 4 कुल रकबा 1.34 हैक्टयर माफी मंदिर ठाकुर जी मुरली मनोहर जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मंदिर मूर्ति नाबालिंग शाश्वत होने के कारण माफी भूमि किसी अन्य दीगर निजी व्यक्ति के नाम नही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद उक्त मंदिरमूर्ति की सेवापूजा को लेकर है जिसके विनिश्चयन का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्रदत्त नही होने बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा प्रकरण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत दर्ज कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2021 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2021 को निरस्त किया जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।